CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 143 ▫ रायपुर, मंगलवार 17 जून 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नवा रायपुर बनेगा देश का अगली सोलर सिटी

क्रेडा ने राज्य सरकार से 65 करोड़ रुपए की मांग का भेजा प्रस्ताव

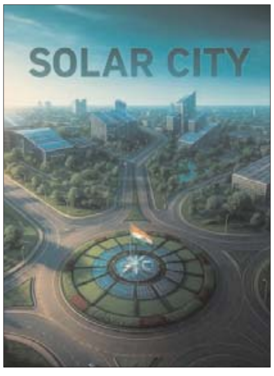

रायपुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। नवा रायपुर को देश की अगली 'सोलर सिटी' बनाने की तैयारी तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने इसके लिए राज्य सरकार से 65 करोड़ रुपए की मांग करते हुए प्रस्ताव भेजा है. अगर मंजूरी मिलती है तो जल्द ही मंत्रालय, इंद्रावती भवन, पुलिस मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रेलवे स्टेशन जैसे बड़े परिसर सौर ऊर्जा से बिजली पाना शुरू कर देंगे. 10 मेगावॉट के संयंत्र से सोलर पॉवर का सुपर प्लान- पहले चरण में 10 मेगावॉट क्षमता के ग्रिडकनेक्टेड सौर संयंत्र लगाए जाएंगे. इससे हर साल करीब 160 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है।

यही नहीं, उत्पादित बिजली सीधे पावर ग्रिड में जाएगी, जिससे सरकारी परिसरों के स्ट्रीट लाइट्स, एयर कंडीशनिंग व अन्य उपकरणों पर आने वाला खर्च भी नेट मीटरिंग के जरिए घटेगा. मतलब सरकारी बिलों में भारी बचत . खेल और यातायात हब भी सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे योजना के तहत नवा रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रेलवे स्टेशन को भी सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी है. साथ ही एनआरडीए क्षेत्र में आरक्षित भूमि पर भी बड़े सौर संयंत्र लगाने की संभावना है। भारत सरकार के 2030 लक्ष्य में योगदान इस महत्वाकांक्षी योजना से भारत सरकार के 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की अहम हिस्सेदारी होगी. क्रेडा इससे पहले मंत्रालय, इंद्रावती भवन, व्यापमं, पुलिस मुख्यालय सहित कई सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावॉट के संयंत्र पहले ही स्थापित कर चुकी है।

सोलर सिटी योजना की खास बातें

योजना लागत	:	65 करोड़ रुपए
संभावित उत्पादन	:	160 लाख यूनिट प्रतिवर्ष
क्षमता	:	10 मेगावॉट (ग्रिड कनेक्टेड)
स्थान	:	मंत्रालय, इंद्रावतीभवन, पुलिस मुख्यालय क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन
फायदा	:	सरकारी भवनों के बिजली बिल में कटौती, स्ट्रीट लाइट्स व अन्य उपकरणों के खर्च में कमी
लक्ष्य	:	भारत सरकार के 2030 तक 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य में योगदान

इजरायल का ईरान पर घातक अटैक

खामेनेई के करीबी और नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को भी मार गिराया

नई दिल्ली, 17 जून (न्यूज चैनल)। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब अपने विध्वंसक स्थिति में आ गया है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर घातक अटैक किया है। इजरायली सेना मंगलवार को तेहरान में ताबड़तोड़ कई मिसाइल हमले किए। हमले में ईरान के सबसे प्रमुख नेता अली खामेनेई के करीबी और ईरान सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को भी मार गिराने का दावा किया गया है। इधर इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि अयातुल्ला खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं, बल्कि खत्म होगी।

IDF ने शादमान की मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तेहरान में एक मानवयुक्त मुख्यालय पर सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात को किए हवाई हमलों में शादमानी की मौत हो गई है। ये हमला आईडीएफ की खुफिया ब्रांच द्वारा प्राप्त की जानकारी के आधार पर किए गए थे। बता दें कि इजराइली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके है, जबकि 1,481 लोग घायल हुए हैं। वहीं, इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं।

इधर इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के एक प्रमुख क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सी के निवासियों को तुरंत क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी संभावित इजरायली हवाई हमलों से पहले दी गई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता एविचाय अद्रई ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि अगले कुछ घंटों में इजरायली सेना इस क्षेत्र में कार्रवाई करेगी, जैसे कि बीते कुछ दिनों में तेहरान के अन्य हिस्सों में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था।

खामेनेई का पूरा परिवार गायब

इधर ईरान के अयातुल्लाह अली खामेनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। खामेनेई के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। खामेनेई के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है।

पीएम नेतन्याहू बोले- खामेनेई की हत्या के बाद ही जंग खत्म होगी

भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा दूतावास से तुरंत संपर्क करने की सलाह

इधर भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा है। ईरान में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को तेहरान में सभी भारतीय नागरिकों और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को सलाह दी है कि जो लोग खुद से शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं वो निकल जाए। एंबेसी ने तेहरान में उन भारतीयों को भी निर्देश दिया है जो उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, एंबेसी ने कहा, जो भारतीय अभी तक हम से संपर्क नहीं कर पाए हैं वो तुरंत संपर्क करें। भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में 10 हजार 765 भारतीय नागरिक रहते हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 14 जुलाई से शुरू होगा सत्र, होंगी महज 5 बैठकें

रायपुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. 14 से 18 जुलाई तक चलने वाले सत्र में केवल 5 बैठकें होंगी, जिनमें वित्तीय और विधि विधायी कार्यों का निष्पादन होगा.

नागपुर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कोच्चि से दिल्ली जा रही फ्लाइट में बम की धमकी

नई दिल्ली, 17 जून (न्यूज चैनल)। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो (द्धठ्ठस्त्रद्बत्तश्र) फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया . मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता के कारण विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान की पूरी जांच की गई. एक विमान पर बम की धमकी मिलने के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह पुष्टि की गई कि धमकी गंभीर थी, क्योंकि इसमें फ्लाइट नंबर भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित था. उस समय तक फ्लाइट कोच्चि से उड़ान भर चुकी थी, जिसे सुरक्षा कारणों से नागपुर एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया. वर्तमान में विमान और यात्रियों की जांच जारी है.

रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने भेजा समन

नई दिल्ली, 17 जून (न्यूज चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा को नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें आज 17 जून को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। 56 वर्षीय वाड्रा को 10 जून को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पूछताछ से परहेज किया कि 9 जून को उन्हें फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड परीक्षण कराया था। उनके वकील ने तब कहा था कि वाड्रा का समन से बचने का कोई इरादा नहीं है और वह इस महीने के अंत में विदेश यात्रा से पहले या बाद में कभी भी ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं।

शराब दुकान का सुपरवाइजर 5 लाख लेकर फरार

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रायपुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के एक शराब दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार बताया जा रहा है. ये खुलासा आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम द्वारा जांच के बाद हुआ है.

आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि शास्त्री मार्केट स्थित शराब दुकान की जांच सोमवार को की गई. जांच में खुलासा हुआ कि दुकान का सुपरवाइजर फरार है. इसके बाद आबकारी विभाग ने जब लेखा-जोखा किया तो पता चला कि करीब 6 लाख 30 हजार रुपए का हिसाब में झोल है. इसके बाद पूछताछ में पता चला कि दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार है. अब आबकारी विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इस मामले का खुलासा विभाग की तरफ से नहीं किया गया है.

टीकाकरण के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा

कवर्धा, 17 जून (हाईवे चैनल)। जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, यहां जिला अस्पताल में टीकाकरण के कुछ ही घंटों बाद तीन दिन के नवजात की मौत हो गई। बच्चे को खोने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

जानकारी के अनुसार, पंडरिया का रहने वाला आशीष निर्मलकर अपनी पत्नी को बच्चे की डिलीवरी के लिए शुक्रवार को कवर्धा जिला अस्पताल लाया था। बताया जा रहा है कि, महिला की शादी के सात साल हो चुके थे। इसके बाद ये उनकी पहली संतान थी। डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती किया। अगले दिन शुक्रवार को दिनभर बीतने के बाद दोपहर में डॉक्टरों ने आशीष से कहा, उसकी पत्नी को बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टरों के कहने पर आशीष और उसके घरवाले ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार हो गए। शनिवार दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर आशीष की पत्नी ने ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ थे।

शादी के सात साल बाद गुंजी थी किलकारी

रविवार बीतने के बाद सोमवार की सुबह अस्पताल परिसर में ही बच्चे का नियमित टीकाकरण किया गया। वैक्सीन लगते ही नवजात बच्चा बेहोश हो गया और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बच्चे का शरीर नीले पड़ गया था। परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी डॉक्टरों को दी, जिसके बाद नवजात को आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, टीका लगने से पहले बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। टीकाकरण के बाद उसके हाथ-पैर नीले पड़ने लगे और एक्टिविटी बंद हो गई। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें समय रहते सही इलाज नहीं मिला, जिससे बच्चे की जान नहीं बच सकी। नवजात की मां का रो-रोकर बुरा हाल है, क्योंकि शादी के सात साल हो चुके थे और यह उनकी पहली संतान थी। परिवार अब जांच की मांग कर रहा है और इस घटना के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। हालांकि, इस मामले पर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ केशव ध्रुव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं सीएमएचओ डॉ बी एल राज से भी संपर्क नहीं हो पाया है।

सौ करोड़ की जगह बांट दिया 415 करोड़ रुपए का मुआवजा, तत्कालीन एसडीएम निलंबित

रायपुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। पुरानी कहावत है कि किसी की औकात देखने हो तो उसको ताकत दे दो. ऐसा ही कुछ हाल प्रदेश के अधिकारियों का नजर आ रहा है., जो मौका मिलते ही चौका मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बात हो रही है बजरमुंडा मुआवजा घोटाले की, जिसमें तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल को सस्पेंड कर दिया गया है.

बजरमुंडा मुआवजे में 100 करोड़ की जगह 415 करोड़ रुपए मुआवजा बांटे जाने की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को सौंपने की तैयारी है. इसके पहले तत्कालीन रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपी पाया था, और सभी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था. लेकिन घरघोड़ा में एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है. इससे पहले शासन ने ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. सामान्य प्रशासन के अवर सचिव ने सस्पेंशन आर्डर में साफ लिखा है कि घरघोड़ा एसडीएम रहते हुए अशोक कुमार मारबल ने गंभीर लापरवाही की है. इसलिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ के डिप्टी कलेक्टर के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें रायपुर आयुक्त कार्यालय अटैच किया गया है।

ससुर ने की बहू की हत्या, घर से 50 मीटर दूर दफन किया शव

अम्बिकापुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ससुर ने कुल्हाड़ी से वार कर बहू की हत्या कर दी और लाश को घर से 50 मीटर दूर ले जाकर दफन भी कर दिया. यह मामला लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम किरकिमा के अमलीटीकरा मोहल्ले का है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है. आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. मृतिका के पति और गांव वालों की मानें तो आरोपी ससुर अपनी बहू पर गलत नीयत रखता था और छेड़छाड़ करता था, जिसका बहू विरोध करती थी. हत्या की वारदात के पीछे यह एक वजह हो सकता है. हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ससुर परमेश्वर ने बताया है कि जब वह घर आया तब अपनी बहू से खाना मांगा और बहू ने खाना देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आवेश में आकर उसने कुल्हाड़ी से बहु सरस्वती के गले में वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. डर की वजह से उसने लाश को दफन कर छुपाने की कोशिश की.

चूहा- सुनती हो, गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है।
चुहिया- हां जी, अब पता लग जाएगा इंसान यहां कितनी जातियों में बंट गया है।

20 साल के अनुभव के बाद भी शिक्षक को प्रशिक्षित मानने से इंकार, हाई कोर्ट ने 60 दिन में फैसला लेने कहा

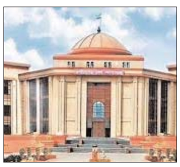

बिलासपुर, 17 जून (हाईवे चैनल)। 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने के बावजूद शिक्षक को प्रशिक्षित नहीं मानने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण निदेशक इस मामले में आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर फैसला लेने के लिए निर्देशित किया है.

बता दें कि रायगढ़ जिले के शासकीय हाईस्कूल भालूमार में कार्यरत व्याख्याता केशव प्रसाद पटेल ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में बताया गया, कि वह पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लगातार पढ़ा रहे हैं और उनकी उम्र भी 50 साल पार हो चुकी है. ऐसे में उन्हें शासन के 1979 के परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक घोषित किया जाना चाहिए. राज्य सरकार का 22 नवंबर 1979 का परिपत्र यह कहता है कि अगर कोई शिक्षक 20 साल की सेवा पूरी कर चुका हो या उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई हो, तो उसे प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है और उसे सीधे प्रशिक्षित माना जा सकता है. शिक्षक ने कोर्ट को बताया, कि उन्होंने पहले भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना पक्ष सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ भेजा था, लेकिन अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया. इसी तरह के मामले में पहले भी 28 जून 2021 को एक और शिक्षक की याचिका पर पक्ष में निर्णय दिया गया था. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने याचिका निराकृत कर शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण निदेशक को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति मिलते ही 60 दिनों के भीतर यह तय करें कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए छूट दी जा सकती है या नहीं.

CMYK